माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प इंदौर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक ..580.../निगरानी/2015

लोकेश पिता हीराजी पाटीदार,
उम्र-37 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
निवासी- कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) .... प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

रूकमणीबाई पति वाला पाटीदार पिता हीरा,
निवासी-कुक्षी, तहसील कुक्षी, जिला धार म.प्र. .....रेस्पोण्डेंट्स

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

माननीय महोदय,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता का सादर निवेदन है कि :-

याचिकाकर्ता द्वारा यह निगरानी याचिका विद्वान अपर आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग, इंदौर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 182/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 24.02.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है । उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सुनवाई हेतु ग्राहय की गई किंतु प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदनपत्र को निरस्त फरमा दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, प्रत्यर्थी रूकमणीबाई द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 109/110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, का माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर यह सहायता चाही कि ग्राम कुक्षी में प्रत्यर्थी के पिता के स्वामित्व की कृषि भूमि जिसका सर्वे नंबर 435/1/1 रकबा 4.758 की स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उसका नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज कर नामांतरण आदेश प्रदान किया जावे ।

2. यह कि, प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी की ओर ... निवेदन किया गया कि प्रार्थी मतक हीरा का

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-580-PBR/15

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-04-19	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया । अत: आवेदक के निवेदन पर प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	